(126)

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

## दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

संख्या– डीडीएमए/कोविड–19/2020/126 दिनांक 02.05.2020

### आदेश

जबकि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है, के फैलाव का खतरा है, और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।

और जबकि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, स्वायत्त निकायों, निगमों और स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को समूचे दिल्ली शहर में कोविड–19 का फैलाव रोकने के उपायों और तत्संबंधी लॉकडाउन को लागू करने का कार्यभार/दायित्व सौंपा गया है;

और जबकि यह संज्ञान में आया है कि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी/कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय कोविड–19 के परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए हैं तथा कुछ और अधिकारियों/कर्मचारियों के संक्रमित होने की आशंका है;

और जबकि सरकार का यह परम दायित्व है कि वह अपने अधिकारियों/कर्मचारियों का समुचित कल्याण और उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करे;

इसलिए अधोहस्ताक्षरी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में एतद द्वारा **श्री निखिल कुमार, सीईओ (दिल्ली जल बोर्ड) को राज्य नोडल कल्याण अधिकारी नियुक्त करता है** ताकि कोविड–19 के परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, स्वायत्त निकायों, निगमों और स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को सभी सुविधाएं/सहायता (कल्याण और समुचित चिकित्सा उपचार सहित) प्रदान की जा सके।

राज्य नोडल कल्याण अधिकारी निम्नांकित सहित सभी आवश्यक कार्यों को तात्कालिक आधार पर अंजाम देंगेः–

क) कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना करेंगे ताकि संक्रमित अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ नियमित रूप से बातचीत की जाये और हर रोज उनके स्वास्थ्य की स्थिति और यदि उन्हें कोई समस्या हो तो उसकी जानकारी हासिल की जाये तथा उनकी कठिनाइयों का समाधान करने के हर संभव प्रयास किए जाएं।

ख) कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ के अंतर्गत चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की जाये और विभिन्न माध्यमों से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच इसकी जानकारी प्रचारित की जाये।

ग) मनोवैज्ञानिक परामर्श और मनोबल बढ़ाने की व्यवस्था की जाये तथा संक्रमित अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ अनुभव साझा किए जायें।

घ) प्रोटोकोल के अनुसार कोविड–19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों का संगरोधन सुनिश्चित किया जाये।

ङ) संक्रमित कर्मचारी/परिवार को सभी आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं/दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।

च) दिल्ली सरकार के कोवड–19 संक्रमित/संदिग्ध अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के परीक्षण और उपचार/अस्पताल में भर्ती कराने के लिए दिल्ली में दो समर्पित अस्पतालों और एक विशेष परीक्षण प्रयोगशाला (डीजीईएचएस के अंतर्गत आते हों) की पहचान की जाये और उन्हें कैशलेस आधार पर उपचार के लिए निर्धारित किया जाये। ऐसे अस्पतालों और प्रयोशाला की सूची रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों/स्वायत्त निकायों/निगमों/स्थानीय निकायों के प्रमुखों को भेजी जाये ताकि वे अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को इस बारे में जागरूक कर सकें।

छ) ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का जिला–वार और विभाग–वार ब्यौरा (की गई अनुवर्ती कार्रवाई सहित) रखा जाये।

(विजय गोयल)
मुख्य सचिव दिल्ली

**सेवा में :**

1. श्री निखिल कुमार, सीईओ, दिल्ली जल बोर्ड
2. दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेट

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–**

1. प्रधान सचिव, माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

8. सचिव, माननीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

9. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

10. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

11. प्रधान सचिव (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को व्यापक प्रचार के लिए।

12. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के सभी सदस्य।

13. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर परिषद।

14. आयुक्त (दक्षिण डीएमसी/पूर्वी डीएमसी/उत्तरी डीएमसी)।

15. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।

16. सिस्टम अनेलिस्ट, संभागीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली को इसे वेबसाइट ddma.delhigovt.nic.in पर अपलोड करने के लिए

1. गार्ड फाइल